संचिका सं0–10 / गै0यो0–02–03 / 2014.......1130.......(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक– 06/12/2017

विषयः– **राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में भवनों के निर्माण के अतिरिक्त Fire Fighting, Fire alarm, Bed lift, Solar Water Heating System, CCTV, HVAC, MGPS, Furniture तथा पूरे परिसर में मिट्टी भराई कार्य हेतु कुल 12,38,51,000/–(बारह करोड़ अड़तीस लाख एकावन हजार) रुपये मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना द्वारा पत्रांक–2641, दिनांक–20.10.2017 से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में भवनों के निर्माण के अतिरिक्त Fire Fighting, Fire alarm, Bed lift, Solar Water Heating System, CCTV, HVAC, MGPS, Furniture तथा पूरे परिसर में मिट्टी भराई कार्य हेतु कुल 12,38,51,000/– (बारह करोड़ अड़तीस लाख एकावन हजार) रुपये (सेन्टेज चार्ज सहित) का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है ।

(2) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में भवनों के निर्माण के अतिरिक्त Fire Fighting, Fire alarm, Bed lift, Solar Water Heating System, CCTV, HVAC, MGPS, Furniture तथा पूरे परिसर में मिट्टी भराई कार्य हेतु कुल 12,38,51,000/– (बारह करोड़ अड़तीस लाख एकावन हजार) रुपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है । योजना का क्रियान्वयन द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से की जाएगी ।

(3) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा ।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(vi) निगम द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(4) इस राशि का वहन राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवायें, लघु शीर्ष– 051– निर्माण, उप शीर्ष–0104–शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210010510104, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन की राशि से विकलनीय होगी ।

(5) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–PLA-244 एवं विपत्र कोड–K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

(6) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419 / वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593 / वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96 / वि0(2) दिनांक– 03.01.2008, 3923 / वि0(2) दिनांक–09.04.2010, 1014 / वि0(2) दिनांक–03.02.2011, 1752 / वि0(2), दिनांक–01.03.2011 एवं 2837 / वि0(2) दिनांक–29.03.2011 एवं अद्यतन परिपत्र के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

(7) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्‌संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे ।

(8) राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका–3 के मुख्य शीर्ष /उपशीर्ष के नियमित में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

(9) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

(11) प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय स्वास्थ्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

(12) प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

(13) राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना से की जायेगी ।

(14) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

(15) संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/12/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:– 1130 (10) / स्वा0, पटना, दिनांक– 06/12/2017

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, विस्कोमान भवन, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना / निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना / कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–10 / अन्य सभी सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

05/12/17

सरकार के विशेष सचिव ।